संख्या : ननिप्रा / सी–लेखा / सी.ए. / 85 / 2016–17 / 2216-2219 दिनांक 16.8.2018

<u>कोटेशन आमंत्रण सूचना</u>

सदस्य (विद्युत), ननिप्रा की ओर से निम्नलिखित संदर्भित शर्तो के अंतर्गत ऐसे अनुभवी चार्टर्ड लेखाकारों, जिनके पास न्यूनतम पॉच वर्ष का प्रेक्टिस करने के अनुभव के साथ वैध प्रमाण पत्र हो तथा परामर्शदात्री सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए जो इन्दौर में स्थापना अनुभाग रखे हो, से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करते हैं ।

<u>कार्य का विवरण :–</u>

1. ननिप्रा इन्दौर में किये जा रहे दैनिक भुगतानों को माह अप्रैल 18 से मार्च 19 तक लगभग 2000 प्रवीष्टियां प्रतिमाह) को टेली सॉफ्टवेयर में लेखा शीर्षवार विस्तृत विवरण सहित पोस्टिंग करना तथा मेन्युअल लेखा से मिलान करना साथ ही ननिप्रा के लेखा अनुरूप तत्संबंधी रिपोर्ट तैयार करना । बैंक समाधान विवरणी तैयार करना, मासिक तलपट बनाना । इस प्रकार अप्रैल 18 से जून,18 तक की पोस्टिंग तथा मिलान संबंधी कार्य कार्यादेश की तिथि से एक माह के अंदर तथा द्वितीय तिमाही का कार्य दो माह के अंदर पूर्ण करना होगा । तत्पश्चात् प्रतिमाह का कार्य अगले माह की 15 तारीख तक पूर्ण करना होगा । कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किये जाने की दशा में सात दिन के नोटिस पर कार्यादेश समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा ।

2. वार्षिक लेखों (2018–19) को तैयार करना जिसे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की वित्त अनुभाग द्वारा दी गई जानकारियों / इनपुट के साथ दी गई विभिन्न अनुसूचियों एवं विवरणों के आधार पर तैयार किया जाना है, जैसा कि केन्द्र सरकार के गैरलाभकारी संस्थाओं के लिए अनुमोदित प्रपत्र में बनाया जाना अपेक्षित रहता है, इसमें निम्नलिखित लेखे शामिल होंगे :–

   अ. प्राप्ति एवं भुगतान लेखे
   ब. आय एवं व्यय लेखे
   स. तुलनात्मक प्रपत्र
   द. बैंक समाधान
   इ. बैलेंश शीट तैयार करना
   फ. ह्रास विवरणी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार तैयार करना
   ज. <u>वार्षिक लेखा मिलान कर पुराने तथा नये फारमेट् में दिनांक 31.5.2019 तक तैयार करना</u>

उपरोक्त कार्य किए जाने के लिए न.नि.प्रा. के निम्न दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से जांचकर लेखा में सम्मिलित करना होगा :–

(क) मासिक शेष परीक्षण (Monthly Trial Balance)
(ख) सभी सम्बंधित खाते
(ग) सावधि जमा रसीदों एवं अन्य प्रतिभूतियों एवं सम्पत्तियों से संबंधित लेखे सहित रोकड़ बही एवं बैंक लेखा पुस्तिका
(घ) सभी बैंको के विवरण पत्र
(च) अन्य संबंधित पुस्तकें एवं दस्तावेज तथा पिछले वर्ष के लेखा समायोजन

निरन्तर—2—

न.नि.प्रा. उक्त कार्यो को करवाने के लिए कम्प्यूटर एवं उसके सहायक सभी उपकरणों को उपयोग में लिए जाने की सुविधा प्रदान करवाकर देगा चूँकि उक्त कार्य न.नि.प्रा. कार्यालय के परिसर में (नर्मदा सदन, इन्दौर) रहकर ही पूर्ण करने होंगे ।

निर्बन्धन एवं शर्ते

(i) कोटेशन दिनांक 28.8.18 को अपरान्ह तीन बजे तक या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँचना आवश्यक है, प्राप्त निविदा उसी दिन अपरान्ह चार बजे निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों (जो निविदा खोले जाने के समय उपस्थित होने का इरादा रखते हों) के समक्ष खोली जानी निर्धारित है ।

(ii) कोटेशन दो अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होंगे । प्रथम लिफाफे में अनुभव एवं रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति तथा मियादी जमा रसीद मुल रूप में प्रस्तुत करना होगी । उपरोक्त के बिना वित्तीय दरें नहीं खोली जावेगी । द्वितीय लिफाफें में कोटेशन में दी गयी दरें एवं शर्ते प्रस्तुत करना होगी ।

(iii) कोटेशन के साथ रू.5000/– पांच हजार राशि की मियादी जमा रसीद जो कम से कम एक वर्ष हेतु वेध हो, वित्त अधिकारी ननिप्रा, इन्दौर के पक्ष में देय हो, जमा करनी होगी । बिना मियादी जमा रसीद के साथ प्रस्तुत कोटेशन मान्य नहीं होगा । जिस कोटेशनकर्ता को कार्य आदेश जारी किया जावेगा उसकी जमा रसीद संपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद वापिस की जावेगी, जबकि अन्य कोटेशन कर्ता की जमा रसीद तुलनात्मक विवरण तैयार होने के बाद लौटा दी जावेगी ।

(iv) दी गयी दरें रू. ——————— (शब्दों में ————————————————————)

उल्लेखित दरों में सभी सम्बद्ध खर्चे जैसे व्यक्ति एवं सामग्री, परिवहन से संबंधित देय शुल्क/पारिश्रमिक, कर एवं शुल्क यदि कोई हो, को सभी पूर्ण रूप से शामिल करके प्रस्तुत की जावे और अलग से किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

(v) लेखाकरण अनियमितता, यदि कोई एजेन्सी द्वारा कार्य किए जाने के दौरान जानकारी में आती है तो उसे वित्त अधिकारी /लेखा अधिकारी की जानकारी में लाना होगा, साथ ही उसको दूर करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सुधारात्मक उपाय/सुझावों को भी बताना होगा ।

(vi) न.नि.प्रा. के वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा के महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा किए जाने वाली लेखा परीक्षा के अध्याधीन है, इसलिए एजेन्सी के लिए बाध्यकारी हो जाता है कि वह आए और लेखा परीक्षा दल को (यदि आवश्यक हो जाए) वित्त अधिकारी/अधिकारी प्रभारी से इस संबंध में ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उस दल को लेखों के संबंध में स्पष्ट कर दें । यदि आवश्यक हो तो एजेन्सी को उस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी देने होंगे जिससे वार्षिक लेखों की परिशुद्धता (Accuracy) तथा उसके सभी सहायक विवरण पत्र एवं अनुलग्नक लेखा परीक्षा दल के मापदण्डों/दिशा निर्देशानुरूप तैयार हों । इस हेतु एजेन्सी को उक्त लेखा संबंधी कार्यो के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।

अविरत.———3

(vii) इस कार्यालय को सभी विवरण एवं अनुलग्नक सहित वार्षिक लेखों की सुपुर्दगी दी जायेगी, जो दो हार्डकॉपी की शक्ल में एवं सी.डी. की शक्ल में दो सॉफ्टकापी उपलब्ध करानी होगी ।

(viii) मासिक लेखा का कार्य प्रति तिमाही आधार पर किए गए कार्य का संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर लिए जाने के पश्चात एवं कार्य को मैनुअल विवरण से मिलान किये जाने के स्तर पर पाए जाने के पश्चात बिल भुगतान की प्राप्ति पर बिल में दर्शायी राशि का 15 प्रतिशत राशि का भुगतान एकाउन्ट पेइ चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का भुगतान एकाउन्ट पेइ चेक के माध्यम से जब कर दिया जायेगा जैसे ही वार्षिक लेखों के संबंध में महालेखाकार द्वारा इन लेखो की स्वीकृत किए जाने के संबंध में पृथक से लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी ।

(ix) प्रस्तुत किए कोटेशन के लिफाफे के बाहर कार्य का नाम "वार्षिक लेखे 2018–19 के संबंध में परामर्शदात्री सेवाओं के संबंध में कोटेशन" और उस कोटेशन के खोले जाने की तारीख का उल्लेख किया जावे ।

(x) विभाग को कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी कोटेशनों को अस्वीकृत करने का अधिकार है तथा इससे कोटेशनकर्ता को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई करने का न.नि.प्रा. का कोई दायित्व नहीं होगा ।

(हस्ताक्षर)
वित्त अधिकारी

कोटेशनकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

प्रतिलिपिः

1. सदस्य (विद्युत) के निजी सचिव, ननिप्रा, इन्दौर ।
2. सचिव के निजी सचिव, न.नि.प्रा., इन्दौर ।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, न.नि.प्रा., इन्दौर । (ननिप्रा की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु)
4. कार्यालय सूचना पट्ट ।